

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई


क्र./एफ-1/सा.प्र.वि./शि.जा./22/92

भिलाई, दिनांक 20-4-2022

// आदेश //

श्री विजय कुमार, फिल्ड वर्कर, वाहन शाखा नगर पालिक निगम भिलाई के विरुद्ध विभागीय जांच में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के खण्ड (एक) परिनिन्दा का औपचारिक दण्ड दिया जाता है तथा बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने की अवधि को सेवा अवधि नहीं मानते हुए विभागीय जांच समाप्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

  
(प्रकाश कुमार सर्वे)  
रा.प्र.से.

आयुक्त  
नगर पालिक निगम


भिलाई

भिलाई, दिनांक 20-4-2022

पृ.क्र./एफ-1/सा.प्र.वि./शि.जा./22/93

प्रतिलिपि :-

1. महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त- 1/2 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
6. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री विजय कुमार, फिल्ड वर्कर, वाहन शाखा, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई